न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 16/2010

अपीलान्ट्स

बाहेती एज्यूकेशन ट्रस्ट 1025 ई रोड, सरदारपुरा जोधपुर जरिये अध्यक्ष श्री श्याम बाहेती पुत्र श्री भंवरलाल बाहेती, जाति महेश्वरी निवासी ई रोड सरदारपुरा जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

01. नेमाराम पुत्र नारायणराम जाति भील, निवासी ग्राम मथानिया तहसील औसियां जिला जोधपुर।
02. श्रीमती शांति पत्नी तेजाराम जाति भील निवासी मार्फत नारायण चौधरी गांव सारी की ढाणी पोस्ट माडावास तहसील रोहिट जिला पाली
03. नारायण चौधरी पुत्र नेमाराम चौधरी जाति पटेल निवासी जी–118, शास्त्रीनगर जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 198 जो सरपंच ग्राम पंचायत पाल द्वारा दिनांक 21.05.2005 को पारित किया गया ।

– – –

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री अक्षय दवे।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 3 की ओर से अभिभाषक श्री अनिल राठी।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक : – 06.09.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 198 जो सरपंच ग्राम पंचायत पाल द्वारा दिनांक 21.05.2005 को पारित किया गया के विरुद्ध पेश की गई। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थी बाहेती एज्यूकेशन ट्रस्ट एक पंजीबद्ध ट्रस्ट है जिसका अध्यक्ष श्याम बाहेती एवं श्याम बाहेती को अपीलार्थी संस्था की ओर से समस्त विधिक कार्यवाही करने एवं यह अपील प्रस्तुत करने तथा उक्त अपील में समस्त पैरवी करने का पूर्व अधिकार दिया हुआ है।

अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत जरिये सरपंच को विवादित नामान्तकरण पारित करने का अधिकार एवं क्षेत्र अधिकार नहीं था ग्राम पंचायत को राजस्थान भू राजस्थान अधिनियम के तहत कोई अधिकार नहीं है ऐसी स्थिति में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय

के निर्णय अनुसार ग्राम पंचायत पाल को अपीलाधीन नामान्तकरण पारित करने का अधिकार ही नहीं था। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत पाल द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तकरण प्रभाव शून्य मात्र है। रेस्पोडेन्ट नेमाराम ने एक इकरारनामा धारा 90 बी भूराजस्व अधिनियम के तहत अपीलार्थी के साथ दिनांक 28.06.2004 को निष्पादित कर दिया था एवं उसके अनुसार नगर सुधार न्यास जोधपुर में धारा 90 बी के तहत प्रार्थना पत्र मय नैमाराम के सम्पर्ण नामा के साथ प्रस्तुत कर दिया इस संबंध में नेमाराम ने 1,00,000/– एक लाख रुपये नगद व 10 लाख रुपये के चैक अपीलार्थी से प्राप्त कर लिये एवं उक्त पत्रावली धारा 90 बी भू–राजस्व अधिनियम के तहत नगर सुधार न्यास जोधपुर के यहां कार्यवाही लम्बित थीं किन्तु नेमाराम की नियत खराब हो जाने से उसने अनाधिकार रुप से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 शांति देवी के हक में विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया । उक्त शांति देवी नाम की औरत का अस्तित्व संदिग्ध है बेनामी सा व्यवहार द्वारा नारायणराम चौधरी द्वारा विवादित भूमि खरीदी गई जिसमें शांति देवी का पता पोस्ट माडावास तहसील रोहिट दर्शाया गया है, जो नारायणराम चौधरी का पैतृक मकान है। जहां शांति देवी भील कभी नहीं रही । इससे सिद्ध है कि धारा 42बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भी बेचान व फलस्वरुप नामान्तरकरण शून्य है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

यह अपील सर्वप्रथम न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर के यहां अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत की गई। श्रीमान् जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक /डीएम/रीडर/2010/1609 दिनांक 12.03.2010 के द्वारा यह प्रकरण इस न्यायालय को सुनवाई हेतु मुंतकिल किया गया। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर नियमित सुनवाई प्रारम्भ की गई। इस प्रकरण में उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 20.03.2018 को सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्ववान अभिभाषक श्री अक्षय दवे अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 नेमाराम नायक (अनुसूचित जाति) का व्यक्ति है जिसने स्वयं को अनुसूचित जनजाति भील जाति का बताते हुए विवादग्रस्त भूमि का विक्रय किया है जो विधि अनुसार शून्य विकय है पूर्व में न्यायालय हाजा के समक्ष एक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 07/2010 अनुवान ढलाराम बनाम नेमाराम वगैरह प्रस्तुत किया था जिसका निर्णय दिनांक 20.07.2011 को न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को रिमान्ड करते हुए अप्रार्थी संख्या एक की जाति बाबत् जांच किये जाने का आदेश भी पारित किया जिसकी जांच कर तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.10.2011 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नेमाराम पुत्र नारायणराम को भील जाति का नहीं माना ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नेमाराम अनुसूचित जाति का होना सिद्ध है।

अपीलान्ट के योग्य अभिभाषक ने अपने निरन्तर बहस में यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नेमाराम द्वारा कृषि उपज मण्डी के चुनाव हेतु भी स्वयं को अनुसूचित जनजाति भील जाति का बताकर आवेदन किया गया था जो आवेदन रिटर्निंग अधिकारी अपर कलक्टर तृतीय जोधपुर द्वारा निरस्त किया गया ।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नेमाराम वास्तव में अनुसूचित जाति– नायक जाति का व्यक्ति है न कि भील जाति का व्यक्ति है। इस संबंध में अपीलार्थी ने ग्राम पंचायत ओलवी पंचायत समिति बिलाडा से प्रमाण पत्र प्राप्त किया। वास्तव में नेमाराम ग्राम पंचायत ओलवी का ही स्थाई निवासी है तथा ग्राम ओलवी की निर्वाचन नामावली में एवं उसका ड्राईविंग लाईसेन्स में पता भी ग्राम ओलवी ही लिखा गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र रेस्पोडेन्ट नेमाराम का जारी किया गया उसमें नेमाराम की जाति नायक एवं उसे अनुसूचित जाति का व्यक्ति दर्शाया है। इसके अलावा नेमाराम ने बीपीएल सेंक्शन भी वर्ष 2001 में करवाई जिसमें भी उसने स्वयं को नायक जाति दर्शाया हैं । इसी तरह ग्राम ओलवी के खसरा न0 21 व 510 में नेमाराम व उसके परिवार के खातेदार होना दर्ज किया जिसमे तहसीलदार ने नेमाराम व उसके परिवार के सदस्य को अनुसूचित जाति का व्यक्ति दर्शाया है।

अपीलार्थी के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को एवं अनुसूचित जाति जन जाति का व्यक्ति गैर अनुसूचित जनजाति व्यक्ति को कोई अचल संपति का बेचान नहीं कर सकता अतः ऐसा बेचान विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य मात्र होता है । अप्रार्थी संख्या 1 वास्तव में अनुसूचित जाति का व्यक्ति है उसके द्वारा जो विक्रय विलेख रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में किया गया है व बदनियति अपनी सही जाति को छिपाते हुए स्वयं को भील जाति का दर्शाया । इस कारण अपील में अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को भील जाति का होना दर्शाया है। जबकि नेमाराम पुत्र नारायणराम जाति भील न होकर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है । जिससे सिद्ध है कि धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भी बेचान व नामान्तकरण शून्य है। इस संबंध में अपीलार्थी ने जिला न्यायालय जोधपुर के यहां विक्रय विलेख निरस्त करने हेतु वाद भी प्रस्तुत कर दिया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अवैध बेचान के जरिये स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 198 जो सरपंच ग्राम पंचायत पाल द्वारा 21.05.2005 को निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अभिभाषक ने अपने मौखिक बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 472/1 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा दिनांक 19.05.2005 को विक्रय की ओर उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरित भी कर दी गई ।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का श्रीमती शांति पत्नी तेजाराम जरिये विक्रय पत्र दिनांक 13.05.2005 को विक्रय कर दी गई और श्रीमती शांति के विरुद्ध उक्त आराजी बाहेती एज्यूकेशन ट्रस्ट बेनामी तौर पर हड़प करना चाहते थे जिन्होंने श्रीमती शांति देवी के विरुद्ध एक वाद जिला न्यायाधीश जोधपुर में दायर किया जिसमें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) संख्या 3 जोधपुर द्वारा अस्थाई निषेद्याज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई और अपील भी खारिज हुई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक मामला खारिज होने के बाद मौजूदा अपील बाहेती एज्युकेशन ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत की गई ।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि उक्त अपील मात्र इस आधार पर पेश किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जाति नायक है, भील जाति का नहीं है और नायक जाति अनुसूचित जाति में आती है अतः भूमि का हस्तान्तरण अवैद्य रूप से हुआ है । रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भील जाति का है और नायक भील जाति की ही उपजाति है । भील जाति के व्यक्ति मारवाड़ में नायक जाति भी लगाते है, नायक व भील एक ही जाति है और ये अनुसूचित जनजाति में आती है । इस संदर्भ में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1 अक्टूबर, 1979 की यथाविद्यमान) के भाग 15—राजस्थान में 57 पर थोरी नायक दर्ज है तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 1976 के विधेयक में भाग 13—राजस्थान में क्रम संख्या 10 पर नायकड़ा, नायक, चोलिवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक दर्ज है ।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अपील प्रार्थना व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर नहीं बल्कि सुने सुनाये कथनों के आधार पर है । उन्होंने यह भी कथन किया कि नायक भील जाति की उपजाति है और मारवाड़ में भील जाति के लोग नायक भी अंकित करते है लेकिन दोनों एक ही जाति के है । इस संबंध में उन्होंने अप्रार्थी संख्या 1 भील अनुसूचित जाति का व्यक्ति है के संबंध में स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, ग्राम ओलवी तहसील बिलाड़ा की कृषि भूमि खसरा संख्या 21 व 510 की जमाबन्दी में अप्रार्थी संख्या 1 के पिता नारायणराम की जाति नायक होना बताई गई उसी आधार पर अनुसूचित जाति का बताया है जबकि इसी खातेदारी के अन्य व्यक्ति श्री हणुताराम के दो पुत्र सोहनलाल पुत्र हणुताराम व ढगलाराम पुत्र हणुताराम के जाति प्रमाण पत्र पेश किये गये जिसमें उन्हें अनुसूचित जनजाति का तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा बताया गया ।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि भील(नायक) समाज विकास समिति जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था है उन्होंने भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को यह प्रमाणित किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जाति से भील है जो अनुसूचित जाति में आता है ।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व उसके पिता गांव ओलवी में निवास करते है उसकी वोटर लिस्ट पेश की गई है जो भीलों के बास की बनी हुई है । गांवों में एक जाति के लोग एक ही बस्ती में रहते है । गांव ओलवी की मतदाता सूची जिसके भाग संख्या 145 कम संख्या 271 परीक्षैत्र भीलों का बास में उसका नाम उल्लेखित किया गया साबित करता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील गलत आधारों पर प्रस्तुत किया गया है ।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा भूमि हस्तान्तरण होने के 12 वर्ष से अधिक अवधि बाद अपील मात्र नायक होने के आधार अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने का कथन किया वह मानने योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य होना बताया ।

बहस सुनी गयी व पत्रावली का अद्यतन अवलोकन किया गया।

अनुसूचित जाति का खातेदार अनुसूचित जाति के खातेदार के साथ तथा अनुसूचित जनजाति का खातेदार अनुसूचित जनजाति के खातेदार के साथ कृषि भूमि का विक्रय कर सकता है अन्यथा विक्रय वैद्य नहीं होगा।

उक्त प्रकरण में बाहेती एजुकेशन ट्रस्ट ई रोड़, सरदारपुरा जोधपुर जरिये अध्यक्ष श्याम बाहेती पुत्र भंवरलाल माहेश्वरी निवासी ई रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर द्वारा इकरारनामा दिनांक 28.06.2004 खसरा नं0 471 / 1 रकबा 16.16 बीघा के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या एक नेमाराम पुत्र नारायणराम जाति भील के साथ निष्पादित किया गया है जबकि बाहेती एजुकेशन ट्रस्ट अनुसूचित जनजाति का नहीं है तथा उक्त इकरारनामा में मूतनाजा भूमि का कब्जा भी हस्तानान्तरण किया गया है।

नगर सुधार न्यास जोधपुर में प्रस्तुत आवेदन–पत्र नगरीय सीमा में स्थित कृषि भूमि को अकृषि उपयोग हेतु भूमि समर्पण / पर्यवसान / नियमन / आवंटन हेतु आवेदन–पत्र में खसरा नं0 471 / 1 रकबा 16.16 बीघा दिनांक 5.3.05 में भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की जाति अनुसूचित जनजाति दर्शायी गयी है।

उक्त इकरारनामा अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक नेमाराम पुत्र नारायणराम जाति भील के साथ दिनांक 28.06.2004 को निष्पादित किया अब वही ट्रस्ट नामान्तरकरण

संख्या 198 दिनांक 21.05.2005 ग्राम धिनाणा की ढाणी तहसील जोधपुर को निरस्त करने हेतु चुनौती दे रहा है जबकि रजिस्टर्ड विक्रय में जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 198 स्वीकार किया गया है, में क्रेता व विक्रेता की जाति भील दर्शायी गयी है तथा सिविल न्यायालय द्वारा अभी तक विक्रय दस्तावेज निरस्त किया गया हो, ऐसा साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

आदेश

अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर तहसीलदार, जोधपुर को निर्देश दिया जाता है कि उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(B) के प्रावधानों का उल्लघंन करने की स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत कार्यवाही सक्षम न्यायालय में की जावे।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 06.09.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर